[illegible] उप जिला
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2017	17.1.2017	11.10.2017

बजरंगी देवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
——वादिया

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुरसिटी
2. रामपती पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामबाई पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. शाखा प्रबन्धक, इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 5 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 हैक्टर ग्राम सलेमपुर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसे दोनों पक्षकारों ने मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वादिया की भूमि को लाल रंग से दर्शाया हुआ है। काश्त को लेकर पक्षकारो में आपस में विवाद रहने लगा है। दिनांक 15.11.2016 को वादिया ने प्रतिवादीगण से भूमि विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने भूमि विभाजन कराने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादिया का दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 हैक्टर ग्राम सलेमपुर का मौके पर कब्जे के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाकर वादिया व प्रतिवादीगण के खाते अलग अलग किए जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया को उसके कब्जे काश्त की भूमि में बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें। बिना विभाजन भूमि को रहन वय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि भूमि मिन जबाबदार के यहां रहन है एवं रहन राशि का सम्पूर्ण रूप से चुकारा नहीं हो तब तक भूमि का विभाजन नहीं किया जावे। दावा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम सलेमपुर एवं नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान वकील दावे में भूमि विभाजन हेतु विभाजन स्कीम मंगवाने पर सहमत हैं।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादिया को भूमि का विभाजन कराने का अधिकार है फलस्वरूप वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम मंगवाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 है0 ग्राम सलेमपुर में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से भूमि की विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादिया द्वारा भुगतान की जावेगी । प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिक्री व मुकद्दमा इब्तदाई | Judi/Civil
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) | Part IV-10
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

बजरंगी देवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
——वादिया

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुरसिटी
2. रामपती पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामबाई पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. शाखा प्रबन्धक, इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 3/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 है0 ग्राम सलेमपुर में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से भूमि की विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादिया द्वारा भुगतान की जावेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.10.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर.ए.एस., उप जिला
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2017	17.1.2017	27-3-18

बजरंगी देवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी —–वादिया

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुरसिटी
2. रामपती पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामबाई पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. शाखा प्रबन्धक, इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 5 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 हैक्टर ग्राम सलेमपुर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसे दोनों पक्षकारों ने मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वादिया की भूमि को लाल रंग से दर्शाया हुआ है। काश्त को लेकर पक्षकारो में आपस में विवाद रहने लगा है। दिनांक 15.11.2016 को वादिया ने प्रतिवादीगण से भूमि विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने भूमि विभाजन कराने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादिया का दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 हैक्टर ग्राम सलेमपुर का मौके पर कब्जे के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाकर वादिया व प्रतिवादीगण के खाते अलग अलग किए जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया को उसके कब्जे काश्त की भूमि में बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें। बिना विभाजन भूमि को रहन वय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि भूमि मिन जबाबदार के यहां रहन है एवं रहन राशि का सम्पूर्ण रूप से चुकारा नहीं हो तब तक भूमि का विभाजन नहीं किया जावे। दावा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम सलेमपुर एवं नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

वादी का दावा दिनांक 11.10.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन स्कीम मंगवाई गई। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई विभाजन स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किए जाने पर सहमत हैं। फलस्वरूप पक्षकारों के मध्य विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 है0 ग्राम सलेमपुर में दर्ज पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. बजरंगी देवी धर्मपत्नि रामेश्वर प्रसाद जाति गुर्जर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 758/1 रकबा 0.5833 है0 ग्राम सलेमपुर रहेगी।
2. रामस्वरूप पुत्र गोपाल हिस्सा 5/7 राहिन इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी, रामपति, रामबाई पुत्रियां गोपाल हिसा 2/7 जाति गुर्जर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 758/2 रकबा 0.8167 है0 ग्राम सलेमपुर रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे एवं पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे। राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27-3-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

बजरंगी देवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी —–वादिया

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुरसिटी
2. रामपती पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामबाई पुत्री गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. शाखा प्रबन्धक, इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 3/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 758 रकबा 1.40 है0 ग्राम सलेमपुर में दर्ज पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. बजरंगी देवी धर्मपत्नि रामेश्वर प्रसाद जाति गुर्जर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 758/1 रकबा 0.5833 है0 ग्राम सलेमपुर रहेगी।
2. रामस्वरूप पुत्र गोपाल हिस्सा 5/7 राहिन इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी, रामपति, रामबाई पुत्रियां गोपाल हिसा 2/7 जाति गुर्जर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 758/2 रकबा 0.8167 है0 ग्राम सलेमपुर रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे एवं पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे। राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-3-2018 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दायलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी